

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072020-220671
CG-DL-E-24072020-220671

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2143]
No. 2143]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2020/ श्रावण 2, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2020/SRAVANA 2, 1942

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2020

का.आ. 2428(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में 02 अक्तूबर, 2017 के सा.का. 3210(ई) के तहत अधिसूचित आदेश द्वारा गठित अन्य पिछड़े वर्गों के उप-श्रेणीकरण की जांच करने के लिए आयोग की समयाविधि 31 जुलाई, 2020 के बाद छह माह के लिए बढ़ाते हैं।

2. आयोग 31 जनवरी, 2021 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

राम नाथ कोविन्द
राष्ट्रपति

[फा.सं. 12015/09/2017-बीसी-III]

राम प्रसाद मीणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****ORDER**

New Delhi, the 16th July, 2020

S.O. 2428(E).—In exercise of the powers conferred by Article 340 of the Constitution, the President is pleased to extend the tenure of the Commission to examine sub-categorisation of Other Backward Classes, notified *vide* Order S.O.3210(E) dated 2nd October 2017 in the Gazette of India, for 6 months beyond 31st July 2020.

2. The Commission shall present its Report by 31st January 2021.

(RAM NATH KOVIND)

PRESIDENT

[F. No. 12015/09/2017-BC-II]

R.P. MEENA, Jt. Secy.